

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष) मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण
निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/2014 से 3/2015 तक

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अतः बकाया अनिर्णीत पैरों को निपटाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2011

1)	पैरा 5(i)	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
2)	पैरा 5(ii)	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
3)	पैरा 5(vi)	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
4)	पैरा 5(viii)	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
5)	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
6)	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
7)	पैरा 8	अंशतः निर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1)	पैरा 5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
2)	पैरा 6	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
3)	पैरा 7	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4)	पैरा 8	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष) मण्डी जिला मण्डी के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री विजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक

6.10.2015 से 7.10.2015 तक मण्डी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/2014 व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/2014 के लेखाओं का चयन किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष) मण्डी में ई0 देविन्द्र सिंह, संस्थाध्यक्ष एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत एवं अपूर्ण सूचना तथा सूचना प्रदान न करने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष) मण्डी के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2015 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹3600 (तीन हजार छः सौ रुपये मात्र) किया गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्या: 1217, दिनांक 8.10.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को रेखांकित ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया गया। जिसे संस्था द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या: 006165, दिनांक 21.10.2015 द्वारा भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष) मण्डी के छात्र कल्याण निधि लेखों अवधि 4/2014 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-“क”** में दिया गया है।

(ख) निवेश

संस्थान द्वारा 31.3.2015 तक किए गए दीर्घकालीन निवेशों का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट-“ख” व “ग”** में दिया गया है।

(ग) वित्तीय स्थिति में ₹500 का अन्तर चैक संख्या 297484, दिनांक 2.12.14 के कारण है इस राशि की रोकड़ बही में समाधान प्रविष्टि करने उपरान्त रोकड़ बही का मिलान किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

5 छात्र कल्याण निधि व भवन निधि से कर्मचारियों के वेतन का ₹38,500 का भुगतान करना :-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान की छात्र कल्याण निधि व भवन निधि से अनुदेशकों व अन्य कर्मचारियों को रिकूपमेंट आधार पर वेतन दिया गया था। जबकि अनुदेशकों व अन्य कर्मचारियों को मानदेय की भुगतान की प्रतिपूर्ति एस0ओ0ई0 (सरकारी कोष) से की जानी अपेक्षित है अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि संस्थान द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु छात्र कल्याण निधि से व्यय तो किया जा रहा है परन्तु उक्त व्यय की सरकारी कोष से प्रतिपूर्ति कब और कितनी की गई इस का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। अतः निम्नलिखित मामलों के साथ-साथ वर्ष 2014-15 में ऐसे सभी भुगतानों व सरकारी कोष से प्रतिपूर्ति का ब्यौरा स्पष्ट किया जाए अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ बही पृ0 सं0	दिनांक	जिस निधि से भुगतान की गई	कर्मचारी का नाम व पद	राशि
1.	95	1.10.2014	SW Fund	श्रीमती रनजीता Mec. Hard ware Inst.	14,100
2.	95	1.10.2014	Build Fund	Smt Suneeta Engineering Drw.	14,100
3.	95	1.10.2014	SW Fund	Sh. Tek Chand Hostel Cook-cum-Chowkidar	5,200
4.	95	1.10.2014	Build Fund	Sh. Pawan Kumar Peon	5,100
Total					38,500

6 अंकेक्षण के दौरान छात्र कल्याण निधि के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या: 96, दिनांक 14.10.2014 को चैक संख्या: 178176 दिनांक 14.10.14 द्वारा संस्थान के विभिन्न कार्यों के प्रशिक्षणार्थियों का जीवन बीमा करवाने के लिए ₹27,000 का भुगतान किया गया था उक्त भुगतान की बीमा कम्पनी की वास्तविक पावती अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः वास्तविक पावती प्राप्त करके अभिलेख में रखी जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

7 अंकेक्षण के दौरान छात्र कल्याण निधि की जाँच करने पर पाया गया कि T & P Fund से रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 60, दिनांक 1.10.2014 को ITI Canteen के पक्ष में बैठकों के चायपान के लिए ₹1699 का भुगतान किया गया था जोकि निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त चाय-पान पर किए गए भुगतान की चाय-पान रजिस्टर पर प्रविष्टि भी नहीं की गई थी जिसे

करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा उपरोक्त किए गए भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर के नियमित किया जाए अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

8 प्रतिभूति रजिस्टर का उचित रख-रखाव नहीं करना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से प्राप्त प्रतिभूति की राशि का अलग से रजिस्टर में व्यवसाय अनुसार लेखांकन नहीं किया गया है जिस से यह स्पष्ट हो कि किस छात्र/छात्रा से कब कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि वापिस की गई। इसके अतिरिक्त छात्रों द्वारा संस्थान छोड़ने के एक वर्ष के भीतर प्रतिभूति की राशि वापिस न लेने के फलस्वरूप कितनी राशि जब्त की गई की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः प्रतिभूति रजिस्टर का रख-रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 निवेश रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष) मण्डी के विभिन्न निधियों से किए गए दीर्घ कालीन निवेश के रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियों से निवेशित राशियों का निवेश रजिस्टर में क्रमानुसार प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई हैं जिस से कि संस्थान द्वारा कुल निवेश की गई राशि की परिपक्वता राशि व ब्याज की स्थिति का स्पष्ट ब्यौरा प्राप्त किया जा सके। उक्त मामले गत अंकेक्षण में भी उठाया गया था लेकिन अभिलेख का उचित रख-रखाव हेतु ठोस पग नहीं उठाए गए। अतः निवेश रजिस्टर में निवेशित राशि का क्रमानुसार स्पष्ट ब्यौरा दर्ज किया जाए तथा प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाते हुए अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

10 रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से विभिन्न निधियों एवं आय की प्राप्ति हेतु उपयोग की गई रसीदों के लिए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है स्टॉक रजिस्टर के अभाव में रसीद बुकों के दुरुपयोग की सम्भावना बनी रहती है उक्त अनियमितता को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाया गया था। अतः अपेक्षित स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव जिसमें रसीद बुकों की प्राप्ति का स्रोत एवं मात्रा रसीद बुकों के क्रमांक सहित दर्ज करने के उपरान्त रसीद बुकों की जारी करने की मात्रा, प्राप्तकर्ता के नाम व हस्ताक्षर व शेष बची रसीद बुकों की मात्रा भी दर्ज की जाए व सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

संस्थान के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु कर्मचारियों को अग्रिम राशियां प्रदान की गई थी जिससे सम्बन्धित रजिस्टर अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप संस्थान की 31.3.2015 तक असमायोजित अग्रिम राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः अग्रिम रजिस्टर आगामी अंकक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई ।

13 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्ष विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)XI(XI)245/88-खण्ड-3-1683-1685 दिनांक:17.03.2016 शिमला-09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, सुन्दरनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
- पंजीकृत 3. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष) मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता/-
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्ष विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009